



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122021-231983
CG-DL-E-18122021-231983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4902]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4902]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5293(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कलेक्ट्रेट ऑफिस भांडेर, दतिया (NH552 Extn.) के कि.मी 70+525 से 78+400 मध्य प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH552 Extn. (मिहोना लहार दबोह भांडेर बाईपास मार्ग) (अतिरिक्त रायपुर गांव)

3(a) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब डिविशनल मजिस्ट्रेट भांडेर, दतिया	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH552 Ex.	मध्य प्रदेश	दतिया	भांडेर	1 रायपुर

		के कि.मी. 70.525 से 78.4 तक			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/05/2017-18]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5293(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 70.525 to 78.4 of Collectrate Office **Bhander, Datia (NH552 Extn.)** in the State of **MADHYA PRADESH**.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH552 Extn. in (Mihona Lahar Daboh Bhander Bypass) (Additional Village Raipur) 3(a) in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Magistrate Bhander, Datia	70.525KM To 78.4KM	MADHYA PRADESH	DATIA	Bhander	1 Raipur

[F. No. CE-RO BPL/30010/05/2017-18]

RAJESH GUPTA, Director